



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272969  
CG-DL-E-30052026-272969

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]  
No. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. पीआर/196/2022/डीडी/263/2022/डीसी/1931/2024.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. राम अवतार धूत (सदस्यता संख्या 054045), फ्लैट नंबर 9ई, 9वीं मंजिल, 12 हरि दत्त राय चमारिया रोड, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) – 711101, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आदेश दिया कि प्रतिवादी को फटकार लगाई जाए। इसके अलावा सीए. राम अवतार धूत (सदस्यता संख्या 054045) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही केवल 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया। अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3807 GI/2026

20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. राम अवतार धूत (सदस्यता संख्या 054045) के नाम को तारीख 29 मई, 2026 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./122/2026-27]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

(Set up by an Act of Parliament)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

**(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**F. No. PR/196/2022/DD/263/2022/DC/1931/2024.**—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ram Awatar Dhoot (Membership No. 054045), Flat No 9E, 9th Floor, 12 Hari Dutt Rai Chamarla Road, HOWRAH (West Bengal) - 711101**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered that the Respondent be Reprimanded. Further it also ordered for removal of name of **CA. Ram Awatar Dhoot (Membership No. 054045)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a Fine of Rs. 1,00,000/-(One Lakh) only. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Ram Awatar Dhoot (Membership No. 054045)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 29th May, 2026.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./122/2026-27]